

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

आरोपी लाखन केन्द्रीय जेल ग्वालियर से जेल वारंट सहित पेश की ओर से अधिवक्ता श्री केशव सिंह गुर्जर उपस्थित।

आरोपी राजाभैया सहित अधिवक्ता श्री केशव सिंह गुर्जर उपस्थित।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

आज दिनांक को फरियादी बंटी रज्जाक उपस्थित।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि उनके मध्य मीडियेशन की कार्यवाही से प्रकरण का निराकरण होने की संभावना है। अतः प्रकरण मीडियेशन की कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

चूँकि उभयपक्षों के मध्य मीडियेशन के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने की संभावना है अतः प्रकरण मीडियेशन की कार्यवाही हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री गोपेश गर्ग के न्यायालय में भेजा जाता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह मीडियेशन की कार्यवाही हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री गोपेश गर्ग के समक्ष उपस्थित रहे।

प्रकरण मीडियेशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात् पेश हो।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जे०एम०एफ०सी० गोहद

पुनश्च

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

आरोपी लाखन केन्द्रीय जेल ग्वालियर से जेल वारंट सहित पेश की ओर से अधिवक्ता श्री केशव सिंह गुर्जर उपस्थित।

आरोपी राजाभैया सहित अधिवक्ता श्री केशव सिंह गुर्जर उपस्थित।

फरियादी बंटी रज्जाक उपस्थित। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा द्वारा की गई।

प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट प्राप्त अभिलेख में संलग्न की गई।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपीगण पर भा0द0सं0 की धारा 294,323 एवं 506 भाग2 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। आरोपीगण पर आरोपित आरोप न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य हैं फरियादी बन्टी रज्जाक ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में हैं एवं लोकनीति के अनुरूप हैं। अतः वादविचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजीनामे के आधार पर आरोपी लाखन एवं राजाभैया को भा0द0सं0 की धारा 294,323 एवं 506 भाग 2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी राजाभैया पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

आरोपी लाखन निरोध में है। उसे स्वतंत्र किया जावे। आरोपी के जेल वारंट पर यह टीप अंकित की जावे कि यदि आरोपी की अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जे0एम0एफ0सी0 गोहद